राजवेन्द्रसिंह राठौड़ बनाम तहसीलदार भीनमाल

प्रकरण संख्या 13/2018

25.06.2018 अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल ने जवाब में कथन किया कि आवेदित सूचना अपीलांट सूचना के संबंध में अपीलांट को जरिये पत्रांक/2018/415 दिनांक 30.04.2018 के द्वारा सूचित किया गया। अपीलार्थी पेशे से अधिवक्ता है। अत: अधिवक्ता नागरिक की श्रेणी में नही आता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल नागरिक को ही है। अत: सूचना देय नही है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) भीनमाल के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 41 एफ 009395 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2018 जो कि रेस्पोडैन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में 02.04.2018 को प्राप्त हुआ है। अपीलांट के उक्त आवेदन पत्र के संबध में राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) भीनमाल के द्वारा जरिये पत्रांक/2018/415 दिनांक 30.04.2018 के द्वारा सूचित किया कि सूचना के अधिकार अधिकार के तहत वांछित पत्रावली के निर्णय की नकले चाही है। जो सूचना के अधिकार अधिनियम के नियमार्न्तगत नही है। अत: वांछित नकले हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में नियमानुसार प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते है तथा दूसरी ओर राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) भीनमाल के द्वारा अपने जवाब में अपीलार्थी पेशे से अधिवक्ता है। अत: अधिवक्ता नागरिक की श्रेणी में नहीं आता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल नागरिक को ही है। अत: सूचना देय नहीं होने के का कथन किया है। जिससे हम सहमत नहीं है।

अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के आवेदन पत्र की प्रति का अवलोकन किया है। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा भारत के नागरिक की हैसियत से आवेदन किया है। अत: नियमानुसार अपीलांट सूचना प्राप्त करने का हकदार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार कर राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना 15 दिवस की अवधि में निशुल्क: उपलब्ध करावे।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर) जालोर